संख्या:10/2017/2945/3/2/35-आ0-2/2016-19

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
आजमगढ./एटा/इटावा/
फतेहपुर/सहारनपुरं ।

राज्य योजना आयोग-2
(नियोजन विभाग)

लखनऊः दिनांकः 13 अक्टूबर,2017

विषयः प्रदेश के पॉच जनपदों में क्षेत्रीय विकास में सामाजिक निवेश कार्यक्रम (सियाड) योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 07 माह हेतु धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय-व्ययक के अर्न्तगत कार्यालय आदेश सं0 (6/2017)/1361/3/1/35-आ-2/2016-19 दिनांक 04-05-2017 द्वारा 05 माह हेतु रू 23.70 लाख (रू तेइस लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीक़ति के क्रम में अवशेष 07 माह के व्ययों हेतु कुल रूपये 20,48,000/-(रूपये बीस लाख अडतालिस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न परिशिष्ट (**क**) में उल्लिखित मदवार/जनदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चितकिया जाय।

2- व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनॉक 03 अगस्त,2017 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का अनुपालन कियाजायेगा ।

5- उपर्युक्त आवंटित धनराशि का व्यय कर्मचारियों के वेतन मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता आदि पर शासकीय कर्मचारियों की भॉति संबंधित कोषागार से वेतन देयक के आधार पर आहरण किया जायेगा तथा प्रत्येक माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण डी0डी0ओ0 रिकन्सीलेशनशीट (टेजरीशीट) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को प्रत्येक दशा में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3 संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्ष "-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/ योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त

(आर0एन0एस यादव)

विशेष सचिव ।

संख्या:10/2017/2945/3/1/35-आ0-2/2016-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के संबंध में।
6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8 वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
9 आहरण वितरण अधिकारी राज्य योजना आयोग ।
10 नियोजन अनुभाग 1 ।
11 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट- "क"

शासनादेश संख्या:10/2017/2945/3/2/35-आ0-2/2016-19,दिनांक 13 अक्टूबर,2017 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 07 माह हेतु आबंटित धनराशि का विवरण लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03-राज्य योजना आयोग

अनुदान संख्या-40

(धनराशि लाख रूपये में)

मद संख्या	मानक मदें	आजमगढ	एटा	इटावा	फतेहपुर	सहारनपुर	योग
1	2	3	4	5	6	8	10
01	वेतन	5.50	4.35	3.00	3.00	3.50	19.35
03	मंहगाई भत्ता	00.00	0.20	0.08	0.12	0.10	0.50
06	अन्य भत्ते	0.08	0.15	0.09	0.09	0.22	0.63
	योग:-	5.58	4.70	3.17	3.21	3.82	20.48
	(रूपये बीस लाख अडतालिस हजार मात्र)						

(देशराज सिंह)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।